R RTE
21/9/2016

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकःप12(6)शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर, दिनांकः 21/09/16

आदेश

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत शैक्षिक सत्र 2016–17 में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए दिनांक 28.04.2016 को निकाली गई लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु अन्तिम रूप से चयनित बालक–बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश हेतु संशोधित समय सीमा 31.07.2016 थी। प्रवेशित बालक–बालिकाओं के आरटीई वेबपोर्टल पर अपडेशन एवं भौतिक सत्यापन हेतु जारी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.08.2016 एवं 02.09.2016 के अतिक्रमण में संशोधित टाइम फ्रेम निम्नानुसार जारी किया जाता है :–

क्र.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियॉ
1	विद्यालय की एंट्री कक्षा में 31.07.2016 तक प्रवेशित बालक–बालिकाओं को आरटीई वेबपोर्टल पर अपडेट करना।	30.09.2016 तक
2	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	30.09.2016 तक
3	विद्यालयों द्वारा रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	05.10.2016 तक
4	सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना।	14.10.2016 तक

शेष कार्य इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.03.2016 में वर्णितानुसार किया जाएगा।

(उमा शंकर त्रिपाठी)
वरिष्ट शासन उप–सचिव
शिक्षा ग्रुप–5

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/16–17/120 दिनांकः–22-9-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC केन्द्र, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)................................ ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) ....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधिनस्थ कार्यालयों तथा गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त सूचना अविलंब प्रसारित करावें ।

(अर्जीत सिंह)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर